संख्या- 6377-प्रो०/51-2023- 20(14)/2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रोटोकाल अनुभाग (मुख्यमंत्री कार्यालय) लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2023

विषय : **मा0 राज्य अतिथियों के उत्तर प्रदेश में पधारने पर उनके स्वागत-विदाई, प्रवास, भोजन, परिवहन व सुरक्षा व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि नियमावली, 2011 में यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रोटोकाल विभाग द्वारा "राज्य अतिथि" घोषित महानुभावों के प्रदेश आगमन पर उनके तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए समुचित प्रोटोकाल के अन्तर्गत स्वागत-विदाई, प्रवास, भोजन व परिवहन की व्यवस्था के साथ-साथ उनके साथ पधारे कार्मिकों के लिए भी समुचित प्रवास व परिवहन की व्यवस्था की जाए। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में प्रोटोकाल विभाग द्वारा "राज्य अतिथि" घोषित महानुभावों व उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए समुचित प्रोटोकाल सहित स्वागत-विदाई, प्रवास, भोजन व परिवहन आदि की व्यवस्था तथा उनके साथ पधारे स्टाफ/कार्मिकों के लिए समुचित प्रवास व परिवहन की व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित नहीं की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है तथा इससे प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होती है।

2. अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रोटोकाल विभाग द्वारा "राज्य अतिथि" घोषित महानुभावों के उत्तर प्रदेश आगमन पर उनके तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए उ०प्र० राज्य अतिथि नियमावली, 2011 के अनुसार समुचित प्रोटोकाल सहित स्वागत-विदाई, प्रवास, भोजन व परिवहन की व्यवस्था किये जाने के साथ-साथ उनके साथ पधारे कार्मिकों के लिए भी समुचित प्रवास व परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त "राज्य अतिथि" घोषित महानुभावों के लिए अनुमन्य श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रोटोकाल विभाग द्वारा "राज्य अतिथि" घोषित महानुभावों को भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

15/11/2023

(दुर्गा शंकर मिश्र),
मुख्य सचिव।